मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–236/2019

1. अनिल कुमार बाहर पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. कैलाश पत्नी कुलदीप सिंह जाति जाट निवासी सुरेशिया फजलदीन वार्ड नम्बर 39, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– –प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 05.08.2024

वादी की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री रोहिताश बाहर अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जारी है, कि वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीया कैलाश के नाम से चक नम्बर 23 एन.जी.सी. जमांबदी सम्वत 2075 ता 78 खाता संख्या 32/29 में दर्ज 2.2140 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 23 एन.जी.सी. के खाता संख्या 32/29 में से कैलाश का [illegible] दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:11:17 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर

Scanned with CamScanner

…मान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.08.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
…द पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
…क्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
…र्शी के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	
……… रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	-
…क्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
…मिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
…देशिका की तामिल	--		
…ग	--	योग	--

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:11:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner